20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प-सागर

सागर (म0प्र0)

नि0/3519/II-15

267

B.O.R.
20 OCT 2015

बंसिया तनय दलुआ अहिरवार

निवासी ग्राम छेवला गंगाराम तह. हटा जिला दमोह

............आवेदक

//विरूद्ध//

हरिदास तनय दलुआ अहिरवार

निवासी ग्राम रसीलपुर तह. हटा जिला दमोह

............अनावेदकगण

[redacted] क्र.   ता0 पेशी

प्र.क्र.

आवेदक पत्र अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :–

आवेदक अपर आयुक्त सागर द्वारा प्र.क्र. 494/अ–6/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2015 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

//संक्षिप्त तथ्य व सार//

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार की आवेदक व अनावेदक आपस में सगे भाई हैं आवेदक व अनावेदक के पिता दलुआ अहिरवार के नाम से ग्राम छेवला गंगाराम प.ह.न. 57 रा0नि0 मंडल हटा में स्थित भूमि खसरा नं. 209/1 रकवा 0.25 हे0 पर भूमि स्वामी खसरा के रूप में दर्ज था दुलआ अहिरवार द्वारा उक्त भूमि खसरा नं. 209 रकवा 0.45 हे0 में से 0.20 हे0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा ग्राम रसीलपुर के क्रेता आशाराम साहू को दिनांक 26.02.2011 को विक्रय कर दी। जिसका नामातंरण क्रेता के पक्ष में तहसीलदार

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3579-11/15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के आशय पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। अपर आयुक्त के अक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि उनके समक्ष की अपील इसलिए निरस्त की है क्योंकि आवेदक ने SDO के आदेश दि. 11-2-14 की प्रति दि 29-4-14 को प्राप्त हो जाने के बावजूद दि. 9.6.14 को अपर आयुक्त के समक्ष अपील आवेदन लगाया और विलम्ब के कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किए, जो किया जाना आवश्यक था। इस विलम्ब के क्या कारण रहे, उन्हें आवेदक ने रा.मं. के समक्ष भी निगरानी मेमो या तर्कों में स्पष्ट नहीं किया है। वैसे भी SDO ने अपने न्यायालय के अपीलीय प्रकरण में पंजी पर हुए नामान्तरण को निरस्त करके	

[कृ. प. उ.

R. 3579-II/15 प्रमोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वारसाना हक में नामान्तरण किए जाने का आदेश पारित किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई विसंगति प्रतीत नहीं होती। अतः, प्रकरण के गुणदोष पर विचार किया जाना, विलम्ब माफ करते हुए न्यायहित में होगा, ऐसा भी प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं हो रहा। अतः, मैं अपर आयुक्त, सागर के आक्षेपित आदेश दि 24.8.15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे यथावत रखता हूँ। निगरानी अग्राह्य कर प्रकरण समाप्त करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। दा. द. हो। 4.3.16 (सदस्य)	

M